

न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.- 22 / 2021

पीठासीन अधिकारी
औमप्रकाश रैगर
दिनांक- 24.6.21

सरकार बनाम भवानीसिंह
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।


सुक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिमनपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम कायमपुराबास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1181/330 रकबा31.4000है0 किस्म जमीन गै0मु0 पहाड़ मेंसे 0.10 है0 पर दीवार लगाकर मय मलबा भवानी सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत एलआरएक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये। बाद तामिल नोटिस संलग्न पत्रावली किये गये । सूचनापरान्त गैर सायल को बार- बार अवसर दिया जाने के उपरान्त भी गैर-सायल उपस्थित नहीं आया । इसलिए गैरसायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अतः गैरसायल भवानी सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बनेठी तहसील कोटपूतली को वाके कायमपुराबास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1181/330 रकबा 31.4000है0 किस्म जमीन गै0मु0 पहाड़ में से 0.10 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर दीवार लगाकर मय मलबा को ध्वस्त किया जाकर गैरसायल को भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी0 3.20 का पचास गुणा 160 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली, पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमील दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।


नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)